

प्रेस विज्ञप्ति

21, जनवरी, 2016

आज प्रेसवार्ता में श्री रणदीपसिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी ने निम्नलिखित बयान जारी किया :-

आज हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा चार दलित पीएचडी छात्रों का निलंबन वापिस लेने की आपराधिक देरी भाजपा-एबीवीपी-विश्वविद्यालय प्रशासन के दलित विरोधी एजेंडा व अपराधबोध का जीता-जागता सबूत है। दुख तो यह है कि अगर यही फैसला 17 जनवरी, 2016 से पहले ले लिया गया होता, तो आज रोहित वैमुला हमारे बीच जिंदा होता तथा एक प्रतिभाशाली दलित छात्र का उज्ज्वल भविष्य सदा-सदा के लिए खत्म न होता।

कल ही, वाईस चांसलर, श्री अप्पाराव ने सार्वजनिक तौर से पांचों दलित पीएचडी छात्रों के निलंबन को उचित ठहराया तथा मानव संसाधन मंत्रालय की वकालत की। ताज्जुब तो यह है कि उसके फौरन बाद कल दोपहर, शिक्षामंत्री श्रीमति स्मृति ईरानी ने भी पत्रकार गोष्ठी कर पांचों दलित पीएचडी छात्रों के निलंबन को सही ठहराया। सत्ता के अहंकार के चलते, शिक्षामंत्री ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा दलित छात्रों के सामाजिक बहिष्कार व अपमानजनक भाषा के पुख्ता सबूतों को भी दरकिनार कर दिया। शर्मनाक तरीके से, श्रीमति स्मृति ईरानी ने रोहित व अन्य छात्रों द्वारा 18 दिसंबर, 2015 को वाईस चांसलर को लिखी चिट्ठी को भी सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें इन दलित छात्रों ने लगातार हो रहे अपमान व दुर्व्यवहार के चलते वाईस चांसलर से सब दलित छात्रों को जहर देने या फांसी देने बारे कठोर शब्द लिखे थे।

हैदराबाद विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों का निलंबन उचित ठहराते हुए श्रीमति स्मृति ईरानी तो एक कदम और आगे निकल गईं, जब उन्होंने हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम आदेश न देने का हवाला दे इस सारी निलंबन प्रक्रिया को सही ठहरा दिया। इस पूरे मामले को लेकर शिक्षामंत्री ने शर्मनाक तरीके से सफेद झूठ बोला व पूरे देश को बरगलाने का कुत्सित प्रयास किया। ऐसा करके श्रीमति स्मृति ईरानी ने अपने मंत्रीमंडल के सहयोगी श्री बंडारू दत्तात्रेय द्वारा लिखे गए पत्र व मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा दलित छात्रों के खिलाफ कार्यवाही करने बारे लिखे गए पांच पत्रों दिनांक 3 सितंबर, 24 सितंबर, 6 अक्टूबर, 24 अक्टूबर व 19 नवंबर, 2015 को वैध ठहराने की झूठी लीपापोती की। इस सारे झूठ की पोल कुछ घंटों में ही खुल गई, जब विश्वविद्यालय के एससी/एसटी अध्यापक संघ ने शिक्षामंत्री के बयान को झूठा व फर्जी बताया तथा आज 10 एससी/एसटी प्रोफेसर्स व चिकित्सा अधिकारी ने विश्वविद्यालय की सभी प्रशासनिक जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे दिया।

कल निलंबन को उचित ठहरा और आज ही निर्णय बदल आनन फानन में चारों दलित पीएचडी छात्रों के निलंबन को वापस लिया जाना स्पष्ट तौर से शिक्षामंत्री, श्रीमति स्मृति

ईरानी के झूठ, कपट व खोट को प्रमाणित करता है। इस निर्णय से मानव संसाधन मंत्रालय के नाजायज व असंवैधानिक दबाव का सच भी जगजाहिर हो गया है, जिसके चलते रोहित वैमुला सहित पांच दलित पीएचडी छात्रों को निलंबित किया गया था। यह केंद्रीय मंत्री श्री बंडारू दत्तात्रेय; भाजपा के एमएलसी, श्री रामचंद्र राव; वाईस चांसलर श्री अप्पाराव व एबीवीपी कार्यकर्ताओं की दलित विरोधी भूमिका का भी पुख्ता सबूत है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मांग करती है कि दोनों केंद्रीय मंत्रियों, श्रीमति स्मृति ईरानी व श्री बंडारू दत्तात्रेय व हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाईस चांसलर श्री अप्पाराव को फौरन पद से बर्खास्त किया जाए। रोहित वैमुला की आत्महत्या व दलित छात्रों के निलंबन में इन सबकी भूमिका की जांच हाईकोर्ट के न्यायाधीश द्वारा सीमित समय में करवाई जानी चाहिए। रोहित वैमुला के परिवार को नौकरी व उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए।